पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 201/2021

1. राजेश कुमार पुत्र गुलाबसिंह जाति जाट नि0 जिगासरी छोटी त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. गुलाबसिंह पुत्र उदाराम जाति जाट नि0 जिगासरी छोटी त0 भादरा।
2. मनीष कुमारी पुत्री गुलाबसिंह जाति जाट नि0 जिगासरी छोटी त0 भादरा।
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. कमलेश पत्नी गुलाबसिंह जाति जाट नि0 जिगासरी छोटी त0 भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरजीत बिजारणियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 92/89 के खसरा सं0 36 की 5.1350है0, खसरा सं0 64 की 3.8190है0, खसरा सं0 143 की 3.6420है0 कुल 12.5960है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 गुलाबसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 गुलाबसिंह की बजाय वादी राजेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 गुलाबसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner